न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 13/2022

प्रार्थी

अता मोहम्मद पुत्र इस्माईल खां, जाति– मुसलमान, निवासी– कृष्णगंज, तहसील व जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

1. शारदादेवी पत्नी हिम्मतराम, जाति–सुथार, निवासी–कृष्णगंज, तह. व जिला–सिरोही
2. ग्राम पंचायत, कृष्णगंज जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत,कृष्णगंज, तह. व जिला–सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री फिरोज पठान, प्रार्थी निगरानीकार की ओर से
(3) अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित, अप्रार्थी संख्याः 1 (एक) शारदा देवी की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 25 जून, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, कृष्णगंज द्वारा अप्रार्थी शारदादेवी पत्नी हिम्मतराम जी, निवासी– कृष्णगंज के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत क्षेत्रफल 2700 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 12 दिनांक 10.12.2019 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये एवं ग्राम पंचायत, कृष्णगंज से प्रश्नगत पट्टे से संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां तलब की गई। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 (एक) शारदा देवी की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित उपस्थित हुये व अप्रार्थी संख्या 1 (एक) शारदा देवी की ओर से जवाब पेश किया एवं अप्रार्थी संख्या–2 (ग्राम पंचायत, कृष्णगंज) की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश पुरोहित उपस्थित हुये व अप्रार्थी ग्राम पंचायत, कृष्णगंज की ओर से जवाब पेश किया। उसके बाद अप्रार्थी संख्या 2 (ग्राम पंचायत, कृष्णगंज) के अधिवक्ता उपस्थित नही हुये।

(3) प्रकरण में दिनांक 17–6–2025 को बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, कृष्णगंज द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 (शारदादेवी) के हक में जो पट्टा संख्या 12 दिनांक 05–7–2019 को जारी किया है, वह विधि विरुद्ध है। विवादित भुखण्ड पट्टा संख्या 12 तारीख 05–7–2019 को ग्राम पंचायत, कृष्णगंज ने अप्रार्थी शारदा देवी को गलत एवं विधि विरूद्ध तरीके से रूपये लेकर जारी किया है जिससे पंचायत के राजस्व में नुकसान हुआ है तथा उक्त पट्टा जिस जगह का जारी किया है उस जगह पर अप्रार्थी शारदा देवी का कभी भी कब्जा अधिपत्य नहीं रहा है। अप्रार्थी शारदा देवी ने ग्राम पंचायत में एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें अप्रार्थी शारदा देवी ने विवादित भूखण्ड को पुश्तैनी एवं कब्जे शुदा भूखण्ड होना बताया है जो केवल मात्र पंचायत की खानापूर्ति है। ग्राम पंचायत, कृष्णगंज के पूर्व सरपंच छोगाराम, वर्तमान सरपंच सरूदेवी, सरपंच पति हिदाराम देवासी व पूर्व ग्राम विकास अधिकारी चन्दुलाल ने ग्राम पंचायत कृष्णगंज की आबादी क्षेत्र में बेशकिमती भूखण्ड क्रम संख्या 1 से 15 तक बुक संख्या 37 में व्यापक भ्रष्टाचार करते हुए लाखों रूपये लेकर बेच

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिरोही सत्यमेव जयते

दिये है। इन भूखण्डो के पुराने कब्जे बताकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर नियमों को ताक में रखकर उक्त पट्टे जारी करने व भूखण्ड संख्या 12 जो कि सरकारी सम्पत्ति है उसका बेचान ग्राम पंचायत, कृष्णगंज के सरपंच व सचिव ने राशि रुपये दस लाख में किया है, जिसकी शिकायत, महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरौ, जयपुर में की गई है। पट्टा संख्या 12 के भूखण्ड को अप्रार्थी शारदा देवी के पुराने कब्जे भोगवटे का बताकर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया है। जबकि पुरानी रजिस्ट्रीयो में कई पर भी चतुदर्शी में कब्जे धारक का नाम, विवरण इत्यादि कुछ भी दिया हुआ नहीं है, केवल मात्र पडत भूमि लिखा हुआ है। ग्राम पंचायत, कृष्णगंज ने नियम व कानून को ताक में रखकर विधि विरूद्ध तरीके से प्रस्ताव फर्जी तैयार कर पट्टा जारी किया हैं। विवादित पट्टे की भूमि बेशकिमती है जिससे पंचायत को राजस्व में हानि हुई है। उक्त पट्टा संख्या 12 वाले भूखण्ड पर किसी का कब्जा नहीं है, पास में ही प्रार्थी के खरीद शुदा भूखण्ड मय मकान आया हुआ है। जो पट्टा संख्या 12 की चतुदर्शी से पता लगता है। प्रार्थी उक्त भूखण्ड को डी.एल.सी की दर पर भी खरीदने के लिए तैयार था लेकिन ग्राम पंचायत, कृष्णगंज ने अपने निजी स्वार्थ को देखते हुए नियमो के विरूद्ध जाकर उक्त पट्टा अप्रार्थी शारदा देवी के हक में पट्टा जारी किया है, जबकि अप्रार्थी शारदा देवी का पट्टा संख्या 12 वाले भूखण्ड पर कभी भी कब्जा अधिपत्य और निवास नहीं रहा है। ग्राम पंचायत, कृष्णगंज ने भी मौके व रेकर्ड का भौतिक सत्यापन किये बिना विधि व नियमों को ताक में रखकर विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना ही अप्रार्थी शारदा देवी के पक्ष में पट्टा संख्या 12 जारी किया हैं। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, कृष्णगंज द्वारा अप्रार्थी शारदा देवी के हक में जारी पट्टा संख्या 12 दिनांक 10—12—2019 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या—1 (शारदादेवी) के विद्वान अधिवक्ता ने अप्रार्थी शारदा देवी के जवाब में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम कृष्णगंज में अप्रार्थी शारदा देवी का पुराना कब्जा व कच्चा केलुपोश का मकान होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार विहित प्रक्रिया का पालन कर पट्टा जारी किया है। प्रार्थी ने निगरानी आवेदन में यह स्पष्ट नही किया है कि अप्रार्थी शारदा देवी के पक्ष में जारी पट्टा किस प्रकार विधि व नियमों के विरुद्ध है। ग्राम पंचायत, कृष्णगंज द्वारा जिस जगह का पट्टा जारी किया है उस पर अप्रार्थी शारदा देवी व उसके परिवार का वर्षो पुराना कब्जा हक अधिकार व कच्चा केलूपोश मकान बना हुआ है जो काफी पुराना है। अप्रार्थी शारदा देवी द्वारा उक्त पुराने कब्जेशुदा भूखण्ड़ मय केलूपोश आवास का पट्टा प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत, कृष्णगंज में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत, कृष्णगंज द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियमों के आज्ञापक प्रावधानों व प्रक्रिया की पूर्ण रुप से पालना करते हुए बाद जांच अप्रार्थी शारदा देवी व उसके पति का पुराना कब्जा व केलूपोश आवास होने से नियम 157(2) के तहत महिला मुखिया के नाम से नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टे से संबंधित प्रश्नगत भूखण्ड़ पर अप्रार्थी शारदा देवी द्वारा स्वयं का कब्जा व स्वामित्व साबित करने के लिये ग्राम पंचायत में प्रार्थना पत्र के साथ, ठिकाना नांदिया द्वारा अप्रार्थी शारदा देवी के ससुर के जेठाजी के नाम से दिनांक 22—5—1954 को जारी कब्जे की रसीद प्रस्तुत की एवं दिनांक 03—01—1993 को ग्रामदानी ग्रामतसभा, कृष्णगंज द्वारा अप्रार्थी शारदा देवी के पति हिम्मतराम के नाम से जारी कब्जे भोगवटे का प्रमाण पत्र भी संलग्न प्रस्तुत किया था, इस प्रकार इन दस्तावेजों के आधार पर यह साबित होता है कि जिस भूखण्ड़ का पट्टा अप्रार्थी शारदा देवी को जारी किया है उस भूखण्ड़ पर वर्ष 1954 से अप्रार्थी शारदा व उसके परिवार का कब्जा हक अधिकार है। प्रार्थी द्वारा महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जयपुर में क्या शिकायत की गई है, इसकी जानकारी अप्रार्थी शारदा को नही है तथा न ही इस संबंध में कभी भी अप्रार्थी शारदा देवी से पूछताछ हुई है व न

....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

ही कोई जानकारी दी है तथा न ही अप्रार्थी शारदा देवी द्वारा सरपंच या सचिव को किसी प्रकार से कोई अवैध राशि का भुगतान किया गया है। प्रार्थी ने निगरानी आवेदन में यह उल्लेखित किया है कि पुरानी रजिस्ट्री में चतुदर्शी में कब्जे धारक का नाम, विवरण नही है व केवल पडत भूमि लिखा है, लेकिन प्रार्थी ने निगरानी आवेदन के साथ ऐसी कोई रजिस्ट्री की प्रति प्रस्तुत नही की है। जबकि ग्राम पंचायत, कृष्णगंज द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व नियमानुसार मौका निरीक्षण किया गया था एवं अप्रार्थी शारदा देवी के दस्तावेजों से वर्ष 1954 से उसके ससुर, पति व अप्रार्थी शारदा देवी का कब्जा व हक अधिकार साबित होने से बाद जांच नियमुनसार परिवार की महिला मुखिया अप्रार्थी शारदा देवी के पक्ष में नियम 157(2) के तहत पट्टा जारी किया है, जिसमें कोई अनियमितता और अवैधता नही हुई है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत वर्ष 2003 से पूर्व के कब्जों और अस्थाई कच्चे/पक्के आवासों का परिवार की महिला मुखिया के नाम से ही पट्टा जारी करने का प्रावधान है। ऐसे पुराने कब्जेशुदा भूखण्डों व कच्चे/पक्के आवासीय कब्जे की भूखण्डों की कानूनन नीलामी नही की जा सकती है। प्रश्नगत पट्टा संख्या 12 की भूमि के चतुर्दशी में कहीं पर भी प्रार्थी का नाम उल्लेखित नही है तथा न ही प्रार्थी ने ऐसे किसी विक्रय विलेख की प्रति प्रस्तुत की है जिसकी चतुदर्शी में प्रार्थी का नाम उल्लेखित हो। यदि इस भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा होता या प्रार्थी इस भूखण्ड़ को खरीदना चाहता तो प्रार्थी अवश्य ही पंचायत में आवेदन करता या अप्रार्थी शारदा देवी के पक्ष में पट्टा जारी करने की कार्यवाही में जारी किये गये आपत्ति नोटिस के समय पंचायत के समक्ष आपत्ति पत्र प्रस्तुत करता है, लेकिन प्रार्थी द्वारा उस समय कोई आपत्ति नही की गई है। अप्रार्थी शारदा देवी का पति व्यवसाय के सिलसिले में बाहर होने के कारण व अप्रार्थी शारदा देवी के अपने पति के साथ रहने के कारण पुराना कच्चा केलूपोश मकान समय के साथ जर्जर हो गया जिस पर अप्रार्थी शारदा देवी ने दिनांक 10–11–2020 को ग्राम पंचायत से निर्माण स्वीकृति प्राप्त करके अपने पुराने कब्जे केलुपोश मकान को हटकार उसके चारों तरफ चार दिवारी का निर्माण करवाया है। प्रार्थी ने निगरानी आवेदन के साथ स्वयं के कब्जे के संबंध में अथवा पडौस में प्रार्थी का निवास होने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है। प्रार्थी निगरानीकार को उक्त पट्टा संख्या 12 के संबंध में प्रारम्भ से ही जानकारी है, परन्तु प्रार्थी ने मनगंढत तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी शारदा देवी को हैरान व परेशान करने की नियत से यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है। पूर्व में भी इस न्यायालय में नोनाराम पुत्र पुत्र दरगाजी कलबी, निवासी– कृष्णगंज द्वारा भी एक निगरानी आवेदन, उक्त भूखण्ड़ पर कब्जा होते हुए प्रस्तुत किया था जो बाद सुनवाई इस न्यायालय द्वारा खारिज किया गया था। उक्त निर्णय की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, कृष्णगंज द्वारा अप्रार्थी शारदादेवी पत्नी हिम्मतराम जी, जाति– सुथार, निवासी– कृष्णगंज के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत क्षेत्रफल 2700 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 12 दिनांक 10–12–2019 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के अर्न्तगत, "ऐसे परिवार, जिनके पास कहीं भी कोई गृह या गृह स्थल नही है और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी–झौपडी/कच्चे–गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है, अधिकतम 300 वर्गगज अर्थात् 2700 वर्गफीट तक कब्जे के निःशुल्क विनियमितीकरण के हकदार होगे। ऐसी भूमि का पट्टा, ऐसी महिला को जारी किया जायेगा जो ऐसे परिवार की मुखिया हो।"

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

इस संबंध में प्रार्थी निगरानीकार ने निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है, जिससे यह साबित हो सके कि ग्राम पंचायत, कृष्णगंज द्वारा अप्रार्थी शारदा देवी पत्नी हिम्मतराम सुथार, निवासी— कृष्णगंज के पक्ष में जिस भूमि का पट्टा जारी किया है, उस भूमि पर प्रार्थी निगरानीकार का कब्जा रहा हो अथवा प्रश्नगत पट्टे से संबंधित भूखण्ड़ के पडौस में प्रार्थी निगरानीकार का खरीदशुदा भूखण्ड़ व मकान हो। प्रार्थी निगरानीकार ने निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन में ऐसी भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी शारदा देवी का वर्ष 2003 तक झुग्गी—झौपडी/कच्चे—गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा नही रहा हो। प्रार्थी निगरानीकार ने ऐसी भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि ग्राम पंचायत, कृष्णगंज द्वारा अप्रार्थी शारदा देवी के पक्ष में कब्जे रहित खुली पडत भूमि का पट्टा जारी किया गया हो। प्रार्थी निगरानीकार ने निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन में ऐसी भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है, जिससे यह साबित हो सके कि अप्रार्थी शारदा देवी व उसके पति के पास प्रश्नगत पट्टेशुदा भूखण्ड़ के अलावा अन्य कोई आवासीय गृह अथवा भूखण्ड़ पूर्व से ही उपलब्ध हो। इस प्रकार, प्रार्थी निगरानीकार, निगरानी आवेदन में अंकित कथनों को साबित करने में असफल रहा है।

चूंकि प्रार्थी ने निगरानी आवेदन में यह भी स्पष्ट नही किया है कि ग्राम पंचायत, कृष्णगंज द्वारा अप्रार्थी संख्या—2 के पक्ष में पट्टा जारी करने में क्या व किस स्तर पर अनियमितता बरती गई है। जबकि पत्रावली पर उपलब्ध प्रश्नगत पट्टे से संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, कृष्णगंज द्वारा अप्रार्थी संख्या—2 के आवेदन पत्र पर राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त प्रावधानों व विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए व पंचायत बैठक में प्रस्ताव पारित करके अप्रार्थी संख्या—2 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है। प्रकरण में अप्रार्थी शारदा देवी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि श्री नोनाराम पुत्र दरगाजी, जाति— कलबी, निवासी— कृष्णगंज, तहसील व जिला— सिरोही द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध ग्राम पंचायत, कृष्णगंज द्वारा अप्रार्थी शारदा देवी पत्नी हिम्मतराम सुथार, निवासी— कृष्णगंज के हक में जारी उक्त पट्टा संख्या 12 दिनांक 10—12—2019 को निरस्त कराने हेतु राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत पूर्व में इस न्यायालय में निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जो इस न्यायालय में पंचायत निगरानी संख्याः 15/2022 पर दर्ज रजिस्टर होकर बाद सुनवाई पक्षकारान इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06—9—2024 के द्वारा खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी निगरानीकार का निगरानी आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी, अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही